

न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या- 45/2015-16

अन्तर्गत धारा-219 भू0रा0अधि0

- 1- श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी चन्द्ररू, 2- श्रीमती शान्ति देवी पत्नी रामे, निवासी-ग्राम शेरपुर बेला परगना गोरधनपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।

बनाम

मदनपाल पुत्र प्रभू सिंह, निवासी ग्राम पच्चैड़ा कंला तहसील व जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।


- उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री बाबूराम सैनी।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी : श्री अनूप सिंह राठी, श्री विजय कुमार बालियान।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकत्रीगण उपरोक्त द्वारा परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, लक्सर, जनपद-हरिद्वार द्वारा वाद संख्या-10/वर्ष 2015-16 मदनपाल आदि बनाम मनफूल आदि अन्तर्गत धारा-33/39/227 भू0रा0अधि0 मौजा ग्राम शेरपुर देहात हिरदेरामपुर परगना गोरधनपुर में पारित आदेश दिनांक 30-04-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

उत्तरदाता/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-33/39/227 भू0रा0अधि0 इस आशय का परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी लक्सर के समक्ष दिनांक 18-09-2012 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि खसरा संख्या-2/12 क्षेत्रफल-1-1-0 बीघे पुख्ता, खसरा संख्या-2/13 क्षेत्रफल 5 विश्वा पुख्ता, खसरा संख्या-2/20 क्षेत्रफल-4-10-0 बीघे पुख्ता, कुल क्षेत्रफल-5-16-0 बीघे पुख्ता महाराज सिंह पुत्र रघुवीर उर्फ कवल ग्राम शेरपुर बेला महानी हिरदेरामपुर परगना गोरधनपुर, तहसील लक्सर जनपद हरिद्वार को पट्टे पर दी गई थी, कि महाराज सिंह को महाराज सिंह उर्फ शीशराम पुत्र रघुवीर उर्फ कवल के नाम से भी जाना जाता था, कि तत्कालीन एस0डी0ओ0 के आदेश दिनांक 26-05-1986 से प्रश्नगत भूमि मनफूल पुत्र नत्थू को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी तथा उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया था कि पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर धारा-284 (4) भू0रा0अधि0 के तहत प्रश्नगत भूमि मूल पट्टेदार को वापिस हो जायेगी लेकिन 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी मनफूल पुत्र नत्थू के नाम की गलत प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में चलती रही, कि मूल पट्टेदार उत्तरदाता/प्रार्थी के सगे मामा हैं उनकी मृत्यु



ग्राम पच्चैड़ा कंला तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर में हुई जिसका अंतिम संस्कार उत्तरदाता/प्रार्थी द्वारा ही किया गया क्योंकि महाराज सिंह की शादी नहीं थी जिस कारण उनके कोई संतान नहीं थी इस प्रकार प्रतिपक्षी/वादी उनके विधिक वारिस व उत्तराधिकारी हैं मनफूल पुत्र नत्थू द्वारा प्रश्नगत भूमि बिना किसी अधिकार के निगरानीकर्त्रीगण/प्रतिवादिनी संख्या-2 व 3 को बैनामा से गलत रूप से हस्तान्तरित कर दी गई है, अतः एस0डी0ओ0 के आदेश दिनांक 26-05-1986 के अनुपालन में मनफूल पुत्र नत्थू के नाम की जो गलत प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में चली आ रही है उसे निरस्त कर मूल पट्टेदार स्व0 महाराज सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के उपरान्त उत्तरदाता/प्रार्थी का नाम बतौर वारिस कायम किया जाए।


उत्तरदाता/प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार, लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की गई जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 30-06-2015 को प्रस्तुत की गई। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बिना विपक्षीगण को नोटिस भेजे दिनांक 04-08-2015 को वाद दर्ज कर आगामी तिथि 25-08-2015 नियत की गई तथा तत्पश्चात 15 तिथियां पीठासीन अधिकारी के अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण नियत की गई। अंततः 07-04-2016 को निम्न आदेश पारित किया गया।

“पत्रावली प्रस्तुत पुकारने पर वादी के अधिवक्ता उपस्थित वादी के अधिवक्ता को सुना गया वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 19-04-2016 को पेश हो”

उक्त एकपक्षीय आदेश दिनांक 07-04-2016 को निरस्त करने हेतु निगरानीकर्तागण/प्रतिवादी संख्या-2 व 3 के द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 11-04-2016 प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 19-04-2016 को यह आदेश पारित किया गया कि “ पत्रावली प्रस्तुत पुकारने पर वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11-04-2016 पर बहस सुनी गई अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22-04-2016 को पेश हो” एवं तत्पश्चात अंततः दिनांक 30-04-2016 को अंतिम आदेश पारित किया गया तथा उत्तरदाता/प्रार्थी का वाद स्वीकार किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का अध्ययन किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पत्रावली पर उपलब्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय में दुरस्ती सम्बन्धी कार्यवाही में निगरानीकर्त्रीगण को न तो जांच के स्तर पर सम्मिलित किया गया है न ही विद्वान परगनाधिकारी के समक्ष जांच आख्या प्रस्तुत होने के उपरान्त उन्हें सूचित किया गया जबकि वे स्वीकार्य रूप से नवीनतम खतौनी में भूमिधर के रूप में अंकित थी एवं दुरस्ती आदेश से वे सीधे-सीधे प्रभावित है। उनके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को अपखण्डित कर उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11-04-2016 का निस्तारण भी नहीं किया गया। यद्यपि




विद्वान परगनाधिकारी ने आक्षेपित निर्णय/आदेश पारित करने से पूर्व उनके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।


विद्वान परगनाधिकारी ने एक विस्तृत निर्णय/आदेश पारित कर याचित दुरस्ती आदेशित की है परन्तु इतना अवश्य है कि निगरानीकत्रीगण जो कि खतौनी में अंकित भूमिधर थे को जांच एवं परीक्षण स्तर पर समुचित रूप से सम्मिलित नहीं किया गया। अतः न्यायहित में यह आवश्यक समझता हूँ कि निगरानीकत्रीगण को एक अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवश्य दिया जाना चाहिए तदनुसार निगरानी स्वीकार कर मूल कार्यवाही प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। मामले की इस स्थिति के दृष्टिगत विद्वान अधिवक्तागण के गुण-दोष सम्बन्धी तर्कों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं की व्याख्या एवं उनपर निष्कर्ष अंकित करना आवश्यक नहीं है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 30-04-2016 अपास्त किया जाता है एवं मूल दुरस्ती की कार्यवाही निगरानीकत्रीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णीत करने हेतु अवर न्यायालय को प्रति प्रेषित की जाती है। उभयपक्ष दिनांक 29-08-2016 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। उक्त तिथि तक उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि का न तो स्वरूप परिवर्तित करेंगे और न ही उसे अन्तरित किया करेंगे। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस हो तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।


(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 30-07-2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।


(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)